न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम, औरैया।
प्रकीण प्रार्थनापत्र संख्या–133/2022
चन्द्रभान जाटव बनाम सोने लाल आदि।

दिनांक–18.01.2023

1. पुकार करायी गई। पत्रावली प्रस्तुत। प्रार्थी/वादी मुकदमा मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी द्वारा प्रस्तत प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा–156(3)दं0प्र0सं0 पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत मामलें में वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में मुख्य रूप से अभिकथित किया गया है कि दिनांक 10.09.2022 को वह अपना लोडर लेकर निकल रहा था तभी उसका लोडर विपक्षी की मोटरसाइकिल से टच हो गया तथा नाराज होकर विपक्षीगण उसे लोडर से खींच लिया और कहने लगे कि साले चमरे तेरी इतनी औकात हो गई है और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए लात घूंसों से मारापीटा तथा जान से मारने की धमकी दी तथा दिनांक 15.09.2022 को गाली–गलौज कर लात घूंसों से मारापीटा।

3– प्रश्नगत मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचती है कि प्रश्नगत में न्यायालय स्वयं जांच कर कार्यवाही कर सकता है तथा कथित घटना के सम्बन्ध में जो भी साक्ष्य है वह आवेदक/प्रार्थी के संज्ञान में है तथा वह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में सक्षम है। प्रश्नगत मामले में ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिसके सम्बन्ध में पुलिस द्वारा अन्वेषण कराये जाने की आवश्यकता हो। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा नरेश कुमार बाल्मीकि बनाम स्टेट आफ यू0पी0 प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा–482 नं0–1443/2022 निर्णय दिनांकित–17.10.2022 में यह स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया है कि– Special Judge Can treat an application under section 156(3) Cr.P.C. as a complaint and proceed further under SC ST Act.

4– प्रश्नगत मामले के सम्पूर्ण तथ्य व परिस्थितियों व उपर्युक्त विवेचना/ विश्लेषण तथा प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्त के दृष्टिगत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा–156(3)दं0प्र0सं0 को परिवाद के रूप में दर्ज किया जाना विधि संगत है।

आदेश

5. तदनुसार प्रार्थी चन्द्रभान जाटव द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा–156(3)दं0प्र0सं0 परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है। पत्रावली वास्ते बयान अर्न्तगत धारा–200 दं0प्र0सं0 दिनांक– को पेश हो।

(सियाराम चौरसिया)
विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
औरैया।

Digitally signed by SIYARAM CHAURASIA
Date: 2023.01.18 19:16:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court